

शासकीय स्वशासी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल
(द्रामा यूनिट)
अनुसूची-एक
(नियम 4 देखिए)
शैक्षणिक संवर्ग

अनु.क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन बैंड + ग्रेड-पे
1	2	3	4
1	प्राध्यापक द्रामा यूनिट	01	37400-67000+10000
2	सहायक प्राध्यापक द्रामा यूनिट	02	15600-39100+7000

टीप :-

1. अनुसूची में उल्लेखित पद राज्य शासन द्वारा स्वीकृत होकर अनुदान के पद है ।
2. नियम 4.2 के पद उपरोक्त तालिका में दर्शाये पद के अतिरिक्त माने जायेंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल


शिव शेखर शुक्ला
आई.ए.एस.
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा



(डॉ. श्रीमती उल्का श्रीवास्तव) संयुक्त संचालक वित्त (विजय देव वर्मा)
संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश शिक्षा कनिष्ठ लेखाधिकारी

शासकीय स्वशासी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल
(ड्रामा यूनिट)
अनुसूची-दो
(नियम 6.1 देखिए)
शैक्षणिक संवर्ग

अनु. क.	पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या	
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा
1	2	3	4	5
1	प्राध्यापक ड्रामा यूनिट	01	—	01
2	सहायक प्राध्यापक ड्रामा यूनिट	02	02	—

टीप :- कॉलम 5 में दर्शाये पदों को पदोन्नति के लिये तत्समय अर्हताधारी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की दशा में अथवा पदोन्नति पर वैधानिक बाधा होने की दशा में सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा। इस हेतु समय-समय पर कार्यकारिणी समिति संकल्प पारित कर सकेगी।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

 (डॉ. श्रीमती अरुणा श्रीवास्तव) संयुक्त संचालक वित्त
शिव शेखर शुक्ला संचालक चिकित्सा शिक्षा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
आई.ए.एस.
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

(विजय देव वर्मा)
कनिष्ठ लेखाधिकारी

शासकीय स्वशासी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

(द्रामा यूनिट)

अनुसूची-तीन

(नियम 6.2 देखिए)

शैक्षणिक संवर्ग

स.क्र.	अनुसूची 1 का स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएँ	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
1	2	3	4	5	6
1	1	प्राध्यापक	35 वर्ष	1. संबंधित विषय में और टी.ई.क्यू. (TEQ) विनियामवली के अनुसार स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता एम.डी./एम.एस.। 2. प्रथम लेखक के रूप में या तदनुरूपी लेखक के रूप में सह प्राध्यापक के कार्यकाल के दौरान न्यूनतम 2 अनुसंधान प्रकाशनों के साथ संचयी आधार पर सूचीबद्ध जर्नल में 4 अनुसंधान प्रकाशनो के साथ किसी अनुमति प्राप्त /अनुमोदित/मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/संस्थान में 03 वर्ष के लिए संबंधित विषय में सह प्राध्यापक के रूप में कार्य का अनुभव।	65 वर्ष
2	2	सहायक प्राध्यापक	25 वर्ष	1. संबंधित विषय में और टी.ई.क्यू. (TEQ) विनियामवली के अनुसार स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता एम.डी./एम.एस.। 2. संबंधित विषय में किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में 03 वर्ष कनिष्ठ रेजिडेंट के रूप में और किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में एक वर्ष वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में कार्य का अनुभव, किन्तु नॉन क्लीनिकल/पैरा क्लीनिकल विषय में 01 वर्ष की वरिष्ठ रेजिडेंटशीप आवश्यक नहीं होगी।	65 वर्ष

टीप :-

1. अनुसूची के कॉलम 5 में उल्लेखित अर्हताओं में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा परिवर्तन किए जाने पर तदानुसार परिवर्तित अर्हताएं स्वयं ही लागू होगी।
2. कार्यकारिणी समिति समय-समय पर संकल्प पारित कर पद विशेष के लिए अतिरिक्त अथवा अन्य अथवा दोनो अर्हताएं निर्धारित कर सकेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

शिव शेखर शुक्ला
आई.ए.एस.
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
(डॉ. श्रीमती उत्करा श्रीवास्तव)
संचालक चिकित्सा शिक्षा

संयुक्त संचालक वित्त
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश

(विजय देव वर्मा)
कनिष्ठ लेखाधिकारी

शासकीय स्वशासी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

(ट्रामा यूनिट)

अनुसूची-चार

(नियम 6.3 देखिए)

शैक्षणिक संवर्ग

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी	कॉलम (2) में दर्शित किए गए पद पर न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव पदोन्नति के लिए	विभागीय चयन समिति के सदस्यों के पदनाम
1	2	3	4	5
चिकित्सा शिक्षा विभाग (शासकीय स्वशासी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल)	सह प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक	प्राध्यापक सह प्राध्यापक	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (MCI) के प्रचलित मापदण्डों के अनुसार अर्हता अर्जित करना।	1. संभागायुक्त - अध्यक्ष 2. संभागायुक्त द्वारा मनोनीत दो सेवारत अथवा सेवानिवृत्त ख्याति प्राप्त प्राध्यापक - सदस्य 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी - सदस्य सचिव

21/1/19
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

(डॉ. श्रीमती उत्करा श्रीवास्तव) संयुक्त संचालक वित्त
संचालक चिकित्सा शिक्षा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

(विजय देव वर्मा)
कनिष्ठ लेखाधिकारी